



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 7 नवम्बर, 2025

कार्तिक 16, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

संख्या 2141/81-2-2025-29(41)-2025

लखनऊ, 7 नवम्बर, 2025

अधिसूचना

प0आ0-182

चूँकि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) के अधीन 'संरक्षित वन' के रूप में घोषित किये जाने के लिये प्रस्तावित की गयी है;

और चूँकि पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यह परीक्षण कर लिया गया है कि पूर्वोक्त भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित कर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को वंचित नहीं किया जा रहा है;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 'संरक्षित वन' घोषित करते हैं और यह भी अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किन्हीं नियमों के अधीन समस्त ऋतुओं में उक्त भूमि पर प्रदत्त समस्त अधिकार और विशेषाधिकार अबाध रूप से जारी रहेंगे।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6	7
चित्रकूट	मानिकपुर	मानिकपुर	कोटा कन्डैला	ब्लाक-1		
				1012/1	28.593	उत्तर- गाटा संख्या-1012 का शेष भाग व 968 वन क्षेत्र। दक्षिण-गाटा संख्या-1280 व 968 वन क्षेत्र पूरब- गाटा संख्या-1012 का शेष भाग व 1228 नाला, 1279, 1280, 1276 नाला, 1282 नाला। पश्चिम- गाटा संख्या-968 वन क्षेत्र।

				ब्लाक-2		उत्तर- गाटा संख्या-2180 व 2151 का शेष भाग। दक्षिण-गाटा संख्या-2149 का शेष भाग, 2135 नाला व गाटा संख्या-2145। पूरब-गाटा संख्या-2150, 2135 नाला। पश्चिम- गाटा संख्या- 2145, 2154, 2153, 2152 व 2179।
				2149 / 1	12.871	
				2151 / 1 मि०	21.805	
कुल				03 किता	63.269	

आज्ञा से,
अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2141/LXXXI-2-2025-29(41)-2025, dated November 7, 2025.

No. 2141/LXXXI-2-2025-29(41)-2025

Dated Lucknow, November 7, 2025

WHEREAS, the land mentioned in the Schedule below has been proposed to be declared as 'protected forest' under the Indian Forest Act, 1927 (Act no. 16 of 1927);

AND WHEREAS, it has been examined under sub-section (3) of Section 29 of the aforesaid Act that no rights of any person are being deprived by declaring the aforesaid land as protected forest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under Section 29 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to declare the land mentioned in the Schedule below to be 'protected forest' from the date of publication of this notification in the Official *Gazette* and it is also notified that all rights and privileges conferred on the said land across all seasons under any rules published by the State Government shall continue unabated.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Name of Village	Gata No.	Area (in Hectare)	Boundary Description
1	2	3	4	5	6	7
Chitrakoot	Manikpur	Manikpur	Kota Kandaila	Block-1		
				1012/1	28.593	North- Gata No. 1012 Remaining part of Gata No. 968 Forest Area. South- Gata No.1280 & Gata No. 968 Forest Area. East- Gata No. 1012 Remaining part of Gata No. 1228 Nala, 1279, 1280, 1276 Nala & 1282 Nala. West- Gata No. 968 Forest Area.

				Block-2		
				2149/1	12.871	North-Gata No. 2180 & 2151 Remaining part.
				2151/1 Mi	21.805	
						South-Gata No. 2149 Remaining part 2135 Nala & Gata No. 2145. East-Gata No. 2150 & Gata No. 2135 Nala. West-Gata No. 2145, 2154, 2153, 2152 & 2179.
			Total	03 Kita	63.269	

By order,
ANIL KUMAR,
Pramukh Sachiv.